प्रेषक,

विजेन्द्र पाल,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल शासन, देहरादून

संख्या: 128/2002

634/निविदा
18/5/2002

सेवा में:

मुख्य अभियंता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक- 13 मई, 2002

विषय: लोक निर्माण विभाग में कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ठेकेदारों का वर्गीकरण तथा निविदा प्रणाली विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण तथा निविदायें आमन्त्रित किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निर्माण कार्यों के निर्बाध सम्पादन हेतु, विभाग द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दरें प्राप्त करने, निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् प्रक्रिया/नीति निर्धारित की जाती है:-

1. **ठेकेदारो का वर्गीकरण एवं पंजीकरण** :- ठेकेदारो को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी:-

(अ) श्रेणी-ए0 - ठेकेदार किसी भी सीमा तक कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी-बी0 - ठेकेदार 15 लाख रूपये से अनाधिक सीमा के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(स) श्रेणी-सी0 - ठेकेदार 5 लाख रूपये से अनाधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(द) श्रेणी-डी0 - ठेकेदार 2 लाख रूपये से अनाधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

2. **निविदा सूचना का प्रकाशन** :-

(क) रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) से अधिक (स्वीकृत लागत) के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु निविदा सूचना का प्रकाशन, सूचना निदेशक के माध्यम से प्रमुख समाचार पत्रों में नियमानुसार वृहद प्रचार एवं प्रसार द्वारा किया जायेगा।

(ख) समस्त निविदा सूचनाओं को इंटरनेट द्वारा विभागीय वेबसाइट पर भी लोड करके प्रचारित प्रसारित किया जायेगा।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि निविदा सूचना प्रकाशित कराने से पूर्व बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार हो जाये। निविदायें केवल वर्टिकल टेण्डर पद्धति के आधार पर ही की जाये।

(घ) बिल ऑफ क्वांटिटी में मदवार विभागीय दरों को भरने के बाद कार्यों की निविदायें पूरे कार्य के लिए प्रतिशत दर पर मांगी जायें, अर्थात निविदादाता द्वारा यह इंगित किया जायेगा कि वह

Scanned by CamScanner

विभागीय दर से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम पर कार्य करने को तैयार है। किसी भी दशा में ऐसी निविदायें स्वीकार न की जायें, जिनमें निविदादाता द्वारा शर्तें अंकित की गयी हो।

(च) रूपय 40 लाख (रूपया चालीस लाख केवल) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यो की निविदाये नेशनल कम्पीटटीव बिडिंग (National Competitive Bidding) के अर्न्तगत टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के आधार पर विभिन्न प्रमुख *राष्ट्रीय* एवं प्रादेशिक समाचार पत्रो मे, वृहद् प्रचार एव प्रसार हेतु, सूचना निदेशक के माध्यम से, दो बार प्रकाशित करायी जायें। इसमें कम से कम दो समाचार पत्र (एक *राष्ट्रीय* एवं एक प्रादेशिक) अवश्य इंगित करें, जिसमें निविदा सूचना प्रत्येक दशा में प्रकाशित की जानी है। प्रादेशिक समाचार पत्र का प्रसारण कम से कम 50 हजार हो।

इस श्रेणी की निविदाओं हेतु टू बिड सिस्टम की टेक्नीकल बिड में अन्य शर्तो के अतिरिक्त ठेकेदारों का भारत के किसी भी राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार, अथवा इनके अधीनस्थ उपक्रमों द्वारा "ए /I श्रेणी" में पंजीकरण की अर्हता होना आवश्यक होगा।

3. **निविदाओं का विक्रय** -

निविदा कार्य से सम्बन्धित खण्ड, सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं निकटस्थ दो जनपदों के प्रान्तीय खण्ड/मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित खण्डो से मूल्य देकर निविदायें क्रय की जा सकती है।

4. **निविदा प्राप्त करने के सम्बन्ध में-**

निविदा कार्य से सम्बन्धित खण्ड, सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालय एवं निकटस्थ दो जनपदों के प्रान्तीय खण्ड/मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित खण्डो के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक निविदा डाली/प्राप्त की जा सकेंगी। इसके लिए सभी खण्डो एवं वृत्त कार्यालय में टेण्डर बॉक्स सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा बॉक्स सील कर दिया जायेगा। ठेकेदारो द्वारा बिना सील लिफाफे में प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

5. **प्राप्त निविदाओं का खोला जाना** -

(क) निविदाओं के लिए निर्धारित एवं अन्तिम तिथि एवं समय पर सील टेण्डर बॉक्सो को विशेष लाइफ के माध्यम से उसी दिन सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करवाया जायेगा।

(ख) निविदा खोलने के लिए निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जायेगी:-

(1) सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियंता - अध्यक्ष

(2) सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियंता - सदस्य/संयोजक

(3) अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित एक अन्य खण्ड के अधिशासी अभियंता - सदस्य

(ग) अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त निविदा बक्सों को निविदा की अंतिम तिथि से अगले दिन अपरान्ह 3.00 बजे उक्त समिति के समक्ष एक साथ खोला जायेगा तथा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारो अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदाओं में दी गई दरों का कम्पेरेटिव चार्ट बनाया जायेगा, जिस पर उपस्थित ठेकेदार/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त किए जायेंगे। कम्पेरेटिव चार्ट तथा निविदाओं पर समिति के तीनों अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त उन्हें संबंधित खण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। निविदा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश अलग से जारी किया जा रहा है। तत्पश्चात् सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियंता निविदा स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमानुसार एवं निर्धारित अवधि में तत्काल ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Scanned by CamScanner

(ग) जिन कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, उन कार्यों की निविदायें, कार्य पर उपलब्ध अनुदान एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका-VI में प्राविधानित नियमों के अनुसार तत्काल आमंत्रित की जायें। निविदा सूचना की प्रति भी सूचना जारी करने की तिथि से तीन दिन के अन्दर, शासन को उपलब्ध कराई जाये।

(घ) टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के अन्तर्गत प्राप्त की गयी निविदाओं में उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम टेक्नीकल बिड (Technical Bid) खोली जायेगी एवं इन निविदाओं में प्राविधानित नियमावली/अर्हताओं/शर्तों के अनुसार इनका निस्तारण किया जायेगा एवं तत्पश्चात् निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर इसी समिति द्वारा प्राइज बिड (Price Bid) खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

6. अनुबन्धों की शर्तों का निर्धारण:-

शासन के लोक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित शर्तें ही अनुबन्ध में लगायी जायेंगी। कार्य में अनियमितता अथवा हानि की स्थिति में, हानि की वसूली हेतु उचित शर्त लगाया जाना आवश्यक होगा।

कार्य की स्थलीय आवश्यकता के अनुसार यदि किसी विशेष शर्त को लगाया जाना आवश्यक हो तो इसका अनुमोदन सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. निविदायें आमंत्रित करने हेतु समय सीमा का निर्धारण:-

(क) सामान्यतया निविदा एक माह के नोटिस के आधार पर ही आमंत्रित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अल्पकालीन निविदा सूचना न्यूनतम 15 दिन का समय देकर प्रकाशित करायी जा सकती है। निविदा की वैधता 45 दिन से अधिक नहीं होगी।

(ख) अनबन्द में निविदा प्राप्त करने हेतु अधिकतम 2 तिथियाँ (15 दिन के अन्तराल पर) निर्धारित की जायेंगी।

(ग) निविदा खोलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदा का निस्तारण अवश्य कर लिया जाये। निविदा खोलने के बाद नेगोशियेशन उसी दशा में किया जाये जब निविदा की दरें विभागीय दरों से अधिक हों।

कृपया उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(विजेन्द्र पाल)
सचिव

संख्या : 128 /2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(ओ. बी. ओली)
अनुसचिव

P.T.O

Scanned by CamScanner

मुख्य अभियंता स्तर-1 (नियोजन) उत्तरांचल लो. नि. वि. देहरादून
1 AUG 2002

संख्या: 477 /लो०नि०-1/02-75(सा)2002

प्रेषक:-

विजेन्द्र पाल
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में:

मुख्य अभियंता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
उत्तरांचल देहरादून।

REVISED

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2002

विषय: सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत, कोटेशन/टेण्डर/ठेके स्वीकृत करने हेतु टेण्डर एडवाइजरी समिति का गठन।

महोदय,

वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त लेखा अनुभाग-2 उत्तरप्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-ए-2-1602/दस-95-24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995 द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नक के पृष्ठ-16,17 क्रम संख्या-2 "विवरणपत्र-XVIII -ठेके/और टेण्डर" के अर्न्तगत कालम-2 "अधिकार का प्रकार", कालम-3 "किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा" तथा कालम-4 "परिसीमायें", किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करने हेतु निर्धारित की गयी है तथा उक्तवत् ही उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा-1 में उक्त इंगित शासनादेश के संलग्नक विवरणपत्र-XVIII-ठेके/और टेण्डर के अर्न्तगत निर्धारित कालम-2, 3 तथा 4 की व्यवस्था के अधीन निविदा स्वीकृति हेतु अर्ह एवं उत्तरदायी स्वीकर्ता अधिकारी को, निविदा स्वीकृति के सम्बन्ध में, परामर्श दिये जाने हेतु निर्धारित परिसीमाओं के अधीन "टेण्डर एडवाइजरी समितियाँ" गठित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। प्रत्येक स्तर पर टेण्डर एडवाइजरी समितियों का गठन निम्नवत् है:-

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या-ए-2-1602/दस-95-24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995 का "विवरणपत्र-XVIII - ठेके/और टेण्डर"				टेण्डर एडवाइजरी समितियाँ
क्र0 सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियंता लो0नि0वि0 2. अधीक्षण अभियंता लो0नि0वि0 (सिविल एंव विद्युत/यांत्रिक)	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 1.00 करोड़ से अधिक के कार्य में मु0अभि0 स्तर-II से अनुमोदन आवश्यक होगा। (सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्य)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर-II -अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता - सदस्य 3. तकनीकी परामर्शदाता, लो0नि0वि0 उत्तरांचल शासन - सदस्य
		3. अधिशासी अभियंता या कार्य अधीक्षक, (सिविल) लो0नि0वि0	3. रू0 40.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर-II -अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता सदस्य 3. अधिशासी अभियंता - सदस्य
		4. अधिशासी अभियंता (सिविल) लो0नि0वि0	4. रू0 18.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधीक्षण अभियंता - अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियंता सदस्य 3. अन्य नामित अधिशासी अभियंता- सदस्य
		5. अधिशासी अभियंता (सिविल) लो0नि0वि0	5. रू0 5.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियंता - अध्यक्ष 2. सहायक अभियंता - सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियंता - सदस्य
		6. अधिशासी अभियंता (विद्युत/ यांत्रिक) लो0नि0वि0	6. 2.00 लाख की सीमा तक (वि0/या0 कार्य)	1. अधीक्षण अभियंता (वि0/या0) अध्यक्ष 2. अधिशासी अभियंता (वि0/या0) सदस्य 3. अन्य नामित अधिशासी अभियंता (वि0/या0)- सदस्य
		7. सहायक अभियंता (सिविल) लो0नि0नि0	7. रू0 2.00 लाख की सीमा तक (सिविल कार्य)	1. अधिशासी अभियंता -अध्यक्ष 2. सहायक अभियंता -सदस्य 3. अन्य नामित सहायक अभियंता - सदस्य

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या 128/2002 दिनांक 13 मई 2002 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 235/2002 दिनांक 11 जून 2002 का अनुपालन करते हुए, प्राप्त निविदायें निर्धारित समिति के समक्ष खुलने के पश्चात, रू0 10.00 लाख से अधिक की निविदाओं हेतु 6 दिन एवं 40 लाख से कम लागत की निविदाओं हेतु 3 दिन की समग्र सीमा के अन्दर संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, प्राप्त निविदाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, विवरण संस्तुति, सहित, निविदा के लिए निर्धारित टेण्डर एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष को प्राप्त करायेंगे। निविदा सम्बन्धी अभिलेखों की प्राप्ति के तत्काल पश्चात, समिति के अध्यक्ष, तिथि/स्थल व समय निर्धारित कर, समिति की बैठक आहूत करने हेतु सूचना जारी करेंगे। टेण्डर एडवाइजरी समिति, प्राप्त निविदा पर अपना परामर्श अंकित कर, निविदाओं से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त अभिलेख, निविदायें स्वीकृति हेतु, सक्षम अधिकारी को भेजेंगे, जिसपर वित्त लेखा अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश संख्या-ए-2-1602/दस-95 24(14)/95 दिनांक 1 जून 1995 में प्रतिनिधानित वित्तीय प्राधिकार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्ह एवं सक्षम अभियंता द्वारा दो दिन के अन्दर स्वीकृति जारी की जायेगी। निविदाओं की स्वीकृति जारी करने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर एडवाइजरी समिति का गठन, टेण्डर स्वीकृति हेतु, उपरोक्तानुसार इंगित, प्राधिकृत अधिकारी की सहायता एवं परामर्श हेतु किया गया है। समिति द्वारा किसी वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 में वर्णित टेण्डर स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि वह टैण्डर की स्वीकृति जारी करते समय समस्त नियमावली का पूर्ववत पालन करेगा एवं टेण्डर स्वीकृति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

/

(विजेन्द्र पाल)
सचिव

संख्या 477 (1)/लो0नि0-1/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. महालेखाकार लेखा प्रथम, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/गढ़वाल।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी /नैनीताल
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner

35 yali

संख्याः 2611/III (2)/07-75(सामान्य)/2000

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

विषयः- लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के निर्बाध सम्पादन हेतु, विभाग द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दरें प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण तथा निविदा प्रणाली विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-128/2002 दिनांक 13 मई, 2002, शासनादेश सं0-235/2002 दिनांक 11 जून,2002, शासनादेश सं0-477/लो0नि0-1/02-75(सा.)2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं0-2504/लो0नि0-1/02-75(सा.) 2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में सिविल कार्यो से सम्बन्धित प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरणः-

ठेकेदारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगीः-

(अ) श्रेणी-ए- ठेकेदार किसी भी सीमा तक कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(ब) श्रेणी-बी- ठेकेदार 100.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(स) श्रेणी-सी- ठेकदार 40.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

(द) श्रेणी-डी- ठेकेदार 25.00 लाख रूपये से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए सक्षम होंगे।

2. निविदा सूचना का प्रकाशनः-

रूपये 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यों की निविदायें नेशनल कम्पीटेटीव बिडिंग (National Competitive Bidding) के अन्तर्गत टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के आधार पर व्यापक प्रसार वाले विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों (न्यूनतम एक राष्ट्रीय एवं एक प्रादेशिक) में, वृहद् प्रचार एवं प्रसार हेतु, सूचना निदेशक के माध्यम से दो बार प्रकाशित करायी जाय।

3. निविदाओं का विक्रयः-

निविदा सूचना में यथाइंगित कार्य से संबंधित खण्ड, संबंधित खण्ड का निकटस्थ कोई एक खण्ड, संबंधित खण्ड का वृत्तीय कार्यालय एवं निकटस्थ जनपद के किसी एक खण्ड से मूल्य देकर निविदायें कय की जा सकती हैं।

4. प्राप्त निविदाओं का खोला जानाः-

4.1 निविदाओं के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय पर सील टेण्डर बॉक्सों को विशेष वाहक के माध्यम से उसी दिन निविदाओं को खोलने हेतु निर्धारित कार्यालय (खण्डीय/वृत्तीय) के अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

4.2 निविदा खोलने के लिए कार्यालय का निर्धारण एवं अधिकारियों की समिति का गठन निम्नवत् होगा:–

(क) अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा तक (अर्थात रू0 40 लाख की सीमा तक) की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेंगी:–

(i) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता– अध्यक्ष/संयोजक

(ii) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड का अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

(iii) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित खण्ड के सहायक अभियन्ता–सदस्य।

(ख) उच्च निविदायें अर्थात अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा (रू0 40 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु सक्षम समिति द्वारा खोली जायेंगी:–

(i) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष
(ii) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य/संयोजक
(iii) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता–सदस्य

5. निविदा स्वीकृति हेतु समिति के सदस्यों का निर्धारण:–

क्र. स.	अधिकार के प्रकार	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएँ	टेण्डर एडवाइजरी समितियाँ
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेण्टर (निविदा) स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2लो.नि.वि.	पूर्ण अधिकार	1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अध्यक्ष 2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि.	रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक 2.00	1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता–अध्यक्ष 2. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
		3.अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि.	रू0 40 लाख की सीमा तक 75.00	1. संबंधित अधिशासी अभियन्ता–अध्यक्ष 2. संबंधित वृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता–सदस्य 3. संबंधित सहायक अभियन्ता–सदस्य

6. टर्न ओवर हेतु मानदंड:–

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त भुगतान की राशि के बराबर धनराशि/लागत के कार्य हेतु निविदा दी जा सकेगी।

7. कार्यानुभव हेतु मानदंड:–

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि के 50 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

8. निविदा दाता हेतु मशीनों एवं उपकरणों का मानदंड:–

निविदा दाता द्वारा स्वयं की अथवा लीज/किराये आदि पर भी मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

9. तकनीकी स्टाफ हेतु मानदंडः–

(i) रू0 25 लाख की सीमा तक के कार्य– किसी तकनीकी स्टाफ/अभियन्ता की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) रू0 25 लाख से रू0 100 लाख की सीमा तक के कार्य– एक डिप्लोमा धारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(iii) रू0 100 लाख से 500 लाख की सीमा तक के कार्य– एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं 1 डिप्लोमा धारक अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।

(iv) रू0 500 लाख से अधिक कार्य– एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं दो डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं का होना आवश्यक होगा।

10 धरोहर राशि :–

समस्त अनुबन्ध बैंक गारन्टी के आधार पर गठित किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्राविधानों के फलस्वरूप पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–128/2002 दिनांक 13 मई, 2002, शासनादेश सं0–235/2002 दिनांक 11 जून, 2002, शासनादेश सं0–477/लो0नि0–1/02–75(सा.) 2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं0–2504/लो0नि0–1/02–75(सा.) 2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनमें निहित अन्य प्राविधान उक्त संशोधनों के आलोक में प्रासंगिकता अनुसार यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या : (1)/III–(2)/07,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
6. आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
13. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
सं० रा० म० खण्ड लो० नि० वि० ...
31 / 29 दिनांक ...
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता ... को सूचनार्थ एवं
निर्देशों का पालन हेतु प्रेषित,

Scanned by CamScanner

अ-19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"प्रकीर्ण वर्ग"
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

पत्रांक–481/24सा0प्र0/12 दिनांक–18/05/2012

सेवा में

मुख्य अभियन्ता,
गढ़वाल/कुमांयू क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषय– **लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में उन्नयन के कारण निविदा प्रणाली संशोधन सम्बन्धी शासनादेश में तद्नुसार परिवर्तन करने एवं ₹200.00 लाख से कम धनराशि की निविदाओं में भी बिड कैपेसिटी सम्बन्धी शर्त लागू करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– (1) शासनादेश संख्या–2811/III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दिनांक–26.10.2007
(2) शासनादेश संख्या–562/XXVII(7)/10 दिनांक–24.05.2010

लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन विषयक शासन के उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक–26.10.2007 के क्रम में अवगत कराना है, कि सन्दर्भित आदेश में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं की जो वित्तीय सीमायें उल्लिखित की गयी है वे वित्त विभाग के आदेश संख्या–562/XXVII(7)/10 दिनांक–24.05.2010 द्वारा पुनरीक्षित कर दी गयी है।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है, कि नये वित्तीय प्राधिकार, जो कि शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–24.05.2010 द्वारा आदेशित किये गये थे, के अनुरूप ही शासनादेश संख्या–2811/III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दि0–26.10.2007 का संज्ञान लिया जाय।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned by CamScanner